



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06092024-256956
CG-DL-E-06092024-256956

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 497]
No. 497]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 6, 2024/भाद्र 15, 1946
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 6, 2024/BHADRA 15, 1946

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2024

सा.का.नि. 539(अ).—केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 24 की उपधारा (2) के खंड (घ) और खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिक्का निर्माण (परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी की जन्म शताब्दी के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सिक्के का मूल्यवर्ग.-परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी की जन्म शताब्दी के अवसर पर केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी करने के लिए एक साल में केवल एक सौ रुपये मूल्य वर्ग का सिक्का ढाला जाएगा।

3. सिक्के की विमाएं और संरचना.- नियम 2 में उल्लिखित मूल्य वर्ग के सिक्के, निम्नलिखित विमाओं और संरचना के अनुरूप होंगे, अर्थात्:-

सिक्के का मूल्य वर्ग	आकार और बाह्य व्यास	दांतेदार किनारे की संख्या	धातु संयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)
एक सौ रुपये	वृत्ताकार 44 मिलीमीटर	200	चतुर्धातुक मिश्र धातु रजत - 50 प्रतिशत तांबा - 40 प्रतिशत निकिल - 05 प्रतिशत जस्ता - 05 प्रतिशत

4. डिज़ाइन.— सिक्के का डिज़ाइन वह होगा जो इन नियमों की पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।

5. मानक वजन और अनुज्ञात उपचार.— परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी की जन्म शताब्दी मनाने के लिए नियम 2 में उपरोक्त मूल्य वर्ग के ढाले गए सिक्के का मानक वजन और ऐसे सिक्के को बनाने में अनुज्ञात उपचार वह होगा जो इन नियमों की दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।

पहली अनुसूची
(नियम 4 देखें)

एक सौ रुपये

अग्र भाग:

सिक्के के इस भाग पर मध्य में अशोक स्तम्भ का सिंह स्तम्भ शीर्ष होगा, जिसके नीचे "सत्यमेव जयते" लेख उत्कीर्णित होगा, उसकी बाईं परिधि पर देवनागरी लिपि में "भारत" शब्द और दाईं परिधि पर अंग्रेजी में "INDIA" शब्द होगा। सिंह स्तम्भ शीर्ष के नीचे रुपये का प्रतीक "₹" और अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य "100" भी होगा।

पृष्ठ भाग:

सिक्के के इस भाग पर मध्य में परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी का चित्र होगा। चित्र के बाईं ओर अंतर्राष्ट्रीय अंकों में '1923' और दाईं ओर '2023' उत्कीर्ण होगा। परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी के चित्र के नीचे अंतर्राष्ट्रीय अंकों में '2024' उत्कीर्ण होगा। सिक्के की ऊपरी परिधि पर देवनागरी लिपि में 'परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी की जन्म शताब्दी' तथा निचली परिधि पर अंग्रेजी में 'BIRTH CENTENARY OF H.H. SHRI MATAJI NIRMALA DEVI' उत्कीर्ण होगा।

दूसरी अनुसूची
(नियम 5 देखें)

सिक्के का मूल्यवर्ग	मानक वजन	अनुज्ञात उपचार	
		संयोजन में	मानक वजन में
(1)	(2)	(3)	(4)
एक सौ रुपये	35 ग्राम	चांदी के लिए 1/500वां हिस्सा जमा या घटा अर्थात् चांदी का अंश प्रति 1000 में 498 से 502 के बीच हो सकेगा।	1/100वां हिस्सा जमा या घटा अर्थात् वजन 34.65 ग्राम से 35.35 ग्राम तक हो सकता है।

[फा. सं. 02/32/2023- सिक्का]

अपर्णा भाटिया, सलाहकार

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economics Affairs)
NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2024

G.S.R. 539(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (d) and (e) of sub-section (2) of section 24 of the Coinage Act, 2011(11 of 2011), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Coinage (Issue of Commemorative Coin on the occasion of Birth Centenary of H.H. Shri Mataji Nirmala Devi) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Denomination of coin.**- The coin of One hundred Rupees denomination shall be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government on the occasion of Birth Centenary of H.H. Shri Mataji Nirmala Devi.

3. **Dimension and composition of coin.**- The coin of the denomination mentioned in rule 2 shall conform to the following dimensions and composition, namely:-

Denomination of the coin	Shape and outside diameter	Number of serrations	Metal composition
(1)	(2)	(3)	(4)
One Hundred Rupees	Circular 44 millimeter	200	Quaternary Alloy Silver - 50 per cent. Copper -40 per cent. Nickel - 05 per cent. Zinc - 05 per cent.

4. **Design.**- The design of the coin shall be as specified in the First Schedule to these rules.

5. **Standard weight and remedy allowed.**- The standard weight of the coin of above denomination referred in rule 2 shall be coined to commemorate the occasion of Birth Centenary of H.H. Shri Mataji Nirmala Devi and the remedy allowed in making of such coin shall be as specified in the Second Schedule to these rules.

FIRST SCHEDULE

[See rule 4]

ONE HUNDRED RUPEES

OBVERSE:

This face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar in the centre with the legend “सत्यमेव जयते” inscribed below, flanked on the left periphery with the word “भारत” in Devnagri script and on the right periphery with the word “INDIA” in English. It shall also bear the Rupee symbol “₹” and denominational value “100” in the international numerals below the Lion Capitol.

REVERSE:

This face of the coin shall bear the portrait of 'H.H. Shri Mataji Nirmala Devi' in the centre. The year '1923' in international numerals shall be inscribed on the left side and the year '2023' shall be inscribed on the right side of the image. Below the image of 'H.H. Shri Mataji Nirmala Devi,' the year '2024' shall be inscribed. On the upper periphery of the coin, the inscription 'परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी की जन्म शताब्दी' shall be written in Devanagari script, and the inscription 'BIRTH CENTENARY OF H.H. SHRI MATAJI NIRMALA DEVI' in English shall be inscribed on the bottom periphery of the coin.

SECOND SCHEDULE

[See rule 5]

Denomination of the coin	Standard weight	Remedy allowed	
		In composition	In standard weight
(1)	(2)	(3)	(4)
One Hundred Rupees	35 Grams	1/500 th plus or minus for Silver, that is to say, the Silver content may vary from 498 to 502 per 1000.	1/100 th plus or minus, that is to say, the weight could be from 34.65 grams to 35.35 grams.

[F. No. 02/32/2023-Coin]

APARNA BHATIA, Adviser